कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री वी0 के0 ब्रदर्स, 84 / 4, फजलगंज, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**292 / 08, 10.06.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री वी0 के0 ब्रदर्स, 84 / 4, फजलगंज, कानपुर द्वारा दिनांक 10.06.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' Other plates, sheets, film foil and strip of plastics ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त में से अधिकांश वस्तुएं पैकिंग मैटेरियल में प्रयोग होती हैं जिस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए । यह भी कहा गया कि ये वस्तुएं HSN कोड संख्या-3921 00 00 के अन्तर्गत आती हैं ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-2489, दिनांक 31.10.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी को मेसर्स द सुप्रीम इण्ड0 लि0 बाम्बे के प्रोडक्ट बेचने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर शिप प्राप्त है और प्रस्तुत सैम्पुल के अनुसार बेचे जाने वाली वस्तु आरमरी पालीथिन शीट और कैपसल पालीथिन शीट के नाम से जानी जाती है । यह भी कहा गया कि आरमरी पालीथिन शीट पर धारा-59 के निर्णय दिनांक 10.06.2008 से 4% की दर से करदेयता का निर्णय हो चुका है। केवल कैपसल पालीथिन शीट पर कर की दर का विवाद है जिस पर व्यापारी 12.5% की दर से कर दे रहे हैं। यह भी कहा गया कि HSN कोड के आधार पर करदेयता निर्धारित नहीं हो सकती है बल्कि वस्तु के प्रयोग के आधार पर एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की विज्ञप्ति के आधार पर करदेयता निर्धारित होती है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि यद्यपि प्रार्थी ने ' Other plates, sheets, film foil and strip of plastics ' पर, कर की दर जानने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु प्रार्थना-पत्र के साथ वस्तुओं का कोई सैम्पुल नहीं दिया गया है । कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो सैम्पुल प्रस्तुत किया है उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने इसे आरमरी पालीथिन शीट एवं कैपसल पालीथिन शीट माना है और यह भी कहा गया है कि धारा-59 के निर्णय दिनांक 10.06.2008 में आरमरी पालीथिन शीट को पैकिंग मैटेरियल मानते हुए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-90 पर अंकित पैकिंग मैटेरियल के समान 4% की दर से करयोग्य माना गया है तथा कैपसल पालीथिन शीट पर प्रार्थी स्वयं 12.5% की दर से कर जमा कर रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा किया जा रहा है । माननीय

.....2

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने के कारण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने के कारण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 जनवरी, 2014

ह0 / 02.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।